## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक.....9116/3............/ जबलपुर, दिनांक ../05/2018.

दो–15–30/82 भाग–दो

प्रतिलिपिः–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ———————— (समस्त), मध्यप्रदेश,

2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ (म.प्र.) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 60/तीन–13–6/2011 टीकमगढ़, दिनांक 11–05–2018 के संबंध में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–3/2018/26–2 भोपाल, दिनांक 21–03–2018 में दिये गये निर्देशों के आलोक में स्वविवेक से कार्यवाही करने हेतु,

की ओर, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–3/2018/26–2 भोपाल, दिनांक 21–03–2018 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः– सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पत्र
क्रमांक एफ 1–3/2018/26–2 भोपाल, दिनांक 21–03–2018
की प्रतिलिपि

01.6.18

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 1–3/2018/26–2 भोपाल दिनांक 21/03/2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत मध्यप्रदेश

विषयः– वाहन/परिवहन भत्ते की स्वीकृति ।

---0---

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 2–1/1/3/2012 दिनांक 11/9/2012 द्वारा श्रेणी बी–1 एवं बी–2 शहरों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर) के लिये निःशक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को रूपये 150/– (एक सौ पचास रूपये) के स्थान पर रूपये 350/–(तीन सौ पचास रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता निम्नांकित शर्तों पर स्वीकृत किया गया था :-

(क) आकास्मिक अवकाश को छोडकर अन्य समस्त प्रकार के अवकाशों की अवधि में परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
(ख) परिवहन भत्ता स्वीकृत के लिये स्वयं वाहन रखने की शर्त का प्रतिबंध नहीं होगा।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में प्रदेश के निःशक्त शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब निम्नानुसार परिवहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है:–

| क्र0 | पूर्व में स्वीकृत परिवहन भत्ता | नवीन में स्वीकृत परिवहन भत्ता |
|---|---|---|
| 1 | रूपये 350/– (राजभोगी शहर में लागू) रूपये 150/–रूपये मात्र (राजभोगी शहरों को छोड़कार) | रूपये 350/– (राजभोगी शहारे को छोड़कर ) |

3/ ऐसे प्रत्येक शासकीय सेवक जिन्हे परिवहन भत्ता स्वीकृत किया गया है के वेतन देयक में अहरण एवं संवितरण अधिकारीयो द्वारा निम्नलिखित प्रमाणीकरण अंकित किया जाना चाहिये :–

प्रमाणित किया जाता है की उन समस्त कर्मचारियो द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र0 सी/2–1/1/3/2012 दिनांक 11/9/2012 मे निर्धारित सभी शर्तो पूरी की गई है जिनका परिवहन भत्ता इस देयक में आहरित किया गया है।

4/ यह आदेश वित्त विभाग कें जावक क्र0 509/24/2018 वित्त/नियम/चार दिनांक 14/3/2018 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किये गये है।

**यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।**

राज्यपाल के नाम से
तथा अदेशनुसार,

(अलका श्रीवास्तव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
विभाग

पृ.क्र. एफ 1–3/2018/26–2 भोपाल दिनांक 21/03/2018

प्रति,

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव,माननीय मुख्यमंत्रीजी।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव,कार्यालय म0प्र0 मंत्रालय भोपाल ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
8. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
9. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय भोपाल ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
11. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु ।

21/3/2018
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
विभाग